राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4541/2022

अंशुल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी स्टेट बैंक के सामने, हॉस्पिटल रोड, मंडावर, दौसा (राजस्थान)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, राजकीय सचिवालय, जयपुर.

3. संयोजक चिकित्सा बोर्ड, एसएमएस अस्पताल, टोंक रोड, जयपुर.

4. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, प्रथम तल, एनएसआईसी-एमडीबीपी बिल्डिंग, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली.

5. अध्यक्ष, नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल/काउन्सलिंग बोर्ड नीट 2021, राजकीय डेंटल कॉलेज, सुभाष नगर, टीबी अस्पताल के पीछे, जयपुर.

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री आशीष जैन, एडवोकेट श्री दीपक कुमार शर्मा, एडवोकेट के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	डॉ.वी.बी. शर्मा, एएजी श्री हर्षल थोलिया, एडवोकेट के साथ श्री एम.एस. राघव, एडवोकेट के लिए श्री दिग्विजय सिंह, एडवोकेट

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार गौड़

आदेश

30/03/2022

रिपोर्टेबल

याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की गई है जिसमें एमबीबीएस यूजी पाठ्यक्रम, 2021 में प्रवेश पाने के उद्देश्य से स्थायी विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता विकलांगता प्रमाणपत्र केंद्र-एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा दिनांक 27.12.2021 को प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ भी व्यथित महसूस करता है, जिसके चलते याचिकाकर्ता को एमबीबीएस यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य नहीं पाया गया है।

याचिकाकर्ता ने प्रवेश के उद्देश्य से नीट यूजी-2021 परीक्षा के परिणाम और काउंसलिंग में भागीदारी के अनुसार विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की श्रेणी में अपनी पात्रता का दावा किया है।

इस न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते समय 16.03.2022 को एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत, सक्षम प्राधिकारी को विकलांगता प्रमाण पत्र के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की फिर से जांच करने की आवश्यकता थी और इस प्रकार, इस न्यायालय ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के अधीक्षक को विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक एक बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता को विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से अपनी परीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना था। इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता का परीक्षण 22.03.2022 को किया गया था।

प्रतिवादियों-राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षल थोलिया ने इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर पेश किया और उक्त रिपोर्ट के अवलोकन पर, इस अदालत ने 28.03.2022 को पाया कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र में दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया था, जिन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

इस न्यायालय ने 28.03.2022 को फिर से बोर्ड के सदस्यों को याचिकाकर्ता की जांच करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अधिक सावधान रहने का निर्देश दिया, क्योंकि बोर्ड के सदस्यों ने अखिल भारतीय कोटा में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से 05.02.19/13.05.2019 को आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाओं में अधिसूचित दिशानिर्देशों पर विचार किए बिना पहले की रिपोर्ट दी थी।

इस अदालत ने याचिकाकर्ता को 29.03.2022 को मेडिकल बोर्ड के समक्ष फिर से पेश होने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता तदनुसार मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश हुआ। मेडिकल बोर्ड की दिनांक 29.03.2022 की रिपोर्ट इस न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई है।

इस न्यायालय ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पाया कि अब मेडिकल बोर्ड ने विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया। मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के निष्कर्षों और उनकी राय को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"2. चिकित्सा परीक्षा के निष्कर्षों के अनुसार मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की राय है कि: -

(i) उम्मीदवार श्री अंशुल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार शर्मा आयु 23 वर्ष, को दाएं तरफा चेहरे, ऊपरी अंग और निचले अंग की कमजोरी के रूप में पोस्ट ट्रॉमेटिक (सिर की चोट) सीक्वेल है क्योंकि (राइट स्पास्टिक हेमिपेरेसिस-राइट लोअर लिंब ऊपरी अंग से अधिक शामिल हैं), जिसमें अंगों के सामान्य बाएं हिस्से हैं।

(ii) उम्मीदवार श्री अंशुल शर्मा जिनकी स्थायी शारीरिक अक्षमता भारत के राजपत्र दिनांक 04.02.2019 और 14.05.2019 की अधिसूचना के अनुसार 50 प्रतिशत (50%) है और "दोनों हाथ बरकरार हैं, संवेदना बरकरार है, पर्याप्त शक्ति है और गति की सीमा मेडिकल कोर्स के लिए पात्र माने जाने के लिए आवश्यक हैं"। उम्मीदवार श्री. अंशुल शर्मा के दाहिने हाथ में न्यूनतम कमजोरी है और दोनों हाथों में गति की सामान्य सीमा है। उनका बायां ऊपरी अंग और निचला अंग सामान्य है।

(iii) इस शारीरिक हानि के कारण वह बिना किसी सहायता के दैनिक जीवन की गतिविधि करने में सक्षम है, लेकिन सटीक काम करने में कम से कम कठिनाई हो रही है, जैसे दाहिने हाथ में कलम पकड़ने में कठिनाई और लेखन की धीमी गति।

(iv) हम मेडिकल बोर्ड के सदस्य कानून और भारत के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकन और

विचार के लिए चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट को विस्तार से संलग्न कर रहे हैं।"

उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को बरकरार संवेदना है, दाहिने हाथ में न्यूनतम कमजोरी है और दोनों हाथों में गति की सामान्य सीमा है। उसका बायां ऊपरी अंग और निचला अंग सामान्य है और शारीरिक हानि अर्थात पोस्ट ट्रॉमेटिक (सिर की चोट) के कारण, याचिकाकर्ता बिना किसी सहायता के दैनिक जीवन की गतिविधि करने में सक्षम है, लेकिन सटीक काम करने में कम से कम कठिनाई हो रही है, जैसे दाहिने हाथ में पेन पकड़ने में कठिनाई और लेखन की धीमी गति।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आतिश जैन ने यह कहा कि अधिकारियों ने 27.12.2021 को प्रारंभिक प्रमाण पत्र जारी करते समय अपने काम में बहुत लापरवाही बरती और याचिकाकर्ता की पूरी जांच के बिना, केवल सामान्य टिप्पणी दी गई कि दाहिने ऊपरी अंग की भागीदारी के कारण, हाथ में सकल हानि है और इसलिए, वह यूजी एनईईटी कोर्स के लिए पात्र नहीं है।

विद्वान वकील ने कहा कि इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों द्वारा याचिकाकर्ता की दूसरी चिकित्सा जांच का भी यही हश्र हुआ और अधिकारियों ने केवल एक टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को सिर की चोट के बाद दाहिने हिस्से और निचले अंग में स्पास्टिक हेमिपेरेसिस था, जिसमें दाईं ओर चेहरे की कमजोरी और ट्रेकोस्टोमी निशान शामिल थे और उसका स्थायी विकलांगता स्कोर 2 था और उसका स्थायी शारीरिक हानि स्कोर 50% था और दाहिने ऊपरी अंग की भागीदारी के कारण, वह एनईईटी यूजी एमबीबीएस कोर्स के लिए अयोग्य था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा आगे की जांच के मद्देनजर और 29.03.2022 की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) को प्रदान किए गए आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहले जारी किए गए प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से विकलांगता का उल्लेख किया गया था जिसके कारण याचिकाकर्ता को हानि हुई और केवल दाहिने पैर में ही विकलांगता होने के बावजूद, आरक्षण देने के उद्देश्य से प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया

और याचिकाकर्ता को अयोग्य बना दिया।

अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने एनईईटी यूजी/पीजी परीक्षा में भाग लिया है और उसने 2006 वीं रैंक हासिल की है और वह अपनी योग्यता और विकलांग उम्मीदवार को प्रदान किए गए आरक्षण के अनुसार विचार किए जाने का हकदार है।

प्रतिवादियों-राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षल थोलिया के वकील ने कहा कि जहां तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रमाण-पत्र जारी करने का संबंध है, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के रूप में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और केवल विकलांगता प्रमाण-पत्र केंद्र, जैसा कि अधिसूचित है, ऐसे उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम है, जो आरक्षण के लाभ का दावा करना चाहते हैं।

अधिवक्ता ने कहा कि शुरू में बोर्ड के सदस्यों द्वारा परीक्षण में पूरा विवरण नहीं दिया गया था, हालांकि, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर, अब याचिकाकर्ता की उचित चिकित्सा जांच हुई है और नया निष्कर्ष रिकार्ड किया गया है और राय भी दी गई है।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पश्चातवर्ती के विकास को देखते हुए, इस न्यायालय को स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता आरक्षण का हकदार है या नहीं।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित मापदंडों को अब ध्यान में रखा गया है और तदनुसार, इस न्यायालय के अवलोकन के लिए विस्तृत चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पेश की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

इस अदालत ने पाया कि रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-7 के रूप में दायर दिनांक 27.12.2021 का प्रमाण-पत्र अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की पूरी जांच के बिना बहुत ही लापरवाह तरीके से जारी किया गया था। अधिकारियों ने दिनांक 27.12.2021 को प्रमाण-पत्र जारी करने में लापरवाही बरती है।

इस न्यायालय ने पाया कि अपने दावे के समर्थन में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से विकलांगता प्रमाण-पत्र केंद्र की एक सूची है, जो यूजी में 5% आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं। प्राधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी

द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। प्रमाण पत्र जारी करने या जारी न करने से इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने वाले छात्र के कैरियर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्राधिकारियों का लापरवाह दृष्टिकोण एमबीबीएस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के इच्छुक छात्र के कैरियर को बर्बाद कर सकता है।

इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामला अधिकारियों द्वारा विवेक का उपयोग न करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विकलांगता प्रमाण-पत्र देने के इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटते हैं। न्यायालय का विश्वास इस तथ्य से समाप्त हो जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दूसरी बार याचिकाकर्ता की चिकित्सा जांच के लिए जो निर्देश दिया गया था, उसके परिणामस्वरूप मानदंडों का पालन किए बिना प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जो एक उम्मीदवार की पात्रता पर विचार करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

इस न्यायालय को फिर से अधिकारियों को राजपत्र अधिसूचना का पालन करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए विवश होना पड़ा ताकि कानून की आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवार/याचिकाकर्ता के मामले पर उचित तरीके से विचार किया जा सके।

मेडिकल बोर्ड की दिनांक 29.03.2022 की रिपोर्ट अब याचिकाकर्ता की पात्रता पर विचार करने की विशिष्ट आवश्यकता से संबंधित है और बरकरार संवेदना, पर्याप्त शक्ति, गति की सीमा और दोनों हाथों को बरकरार रखने की आवश्यकता पर अब पूरी तरह से विचार किया गया है और मेडिकल बोर्ड ने तदनुसार इस संबंध में राय दी है।

इस न्यायालय ने दिनांक 13.05.2019 की राजपत्र अधिसूचना के परिशिष्ट-एच-1 के अवलोकन पर पाया कि 'शारीरिक विकलांगता' को परिभाषित किया गया है और विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं में लोकोमोटर विकलांगता शामिल है।

लोकोमोटर की विनिर्दिष्ट अक्षमताएं क्रम संख्या (क) से (ङ) तक हैं और वे विकलांगताएं, जो विनिदष्ट नहीं हैं, विनिर्दिष्ट विकलांगता सं (च) के अंतर्गत कवर की जाती हैं जैसे विच्छेदन और पोलियोमाइलाइटिस, आदि और ऐसी लोकोमोटर विकलांगता के लाभ का दावा करने के लिए, उम्मीदवार को संतुष्ट करना होगा अर्थात दोनों हाथ बरकरार संवेदना, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा के साथ बरकरार हैं।

जिन प्राधिकारियों को लोकोमोटर विकलांगता के प्रयोजनार्थ किसी अभ्यर्थी की जांच करनी होती है, उन्हें अनिवार्य रूप से निर्धारित पैरामीटरों को ध्यान में रखना अपेक्षित

होता है। प्राधिकारी केवल यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति प्रवेश पाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह चलने-फिरने में विकलांगता से पीड़ित है।

इस अदालत ने पाया कि जिन अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2021 को प्रमाण-पत्र जारी किया था, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया और सर्वाधिक लापरवाह तरीके से, उन्होंने प्रमाण पत्र जारी किया।

यह न्यायालय, अब दिनांक 29.03.2022 की रिपोर्ट के माध्यम से मेडिकल बोर्ड की राय पर विचार करते हुए, पाता है कि याचिकाकर्ता विकलांगता का सामना करने वाले व्यक्ति को प्रदान किए गए आरक्षण के आधार पर प्रवेश का हकदार है और यदि याचिकाकर्ता के पास प्रवेश के उद्देश्य के लिए उचित रैंक और योग्यता है, तो उसे काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यदि वह अपेक्षित शर्तों और योग्यता को पूरा करता है, तो उसे प्रवेश दिया जाएगा।

इस न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में, 16.03.2022 को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को काउंसलिंग के अगले दौर में भाग लेने की अनुमति दी जाए अर्थात पीडब्ल्यूडी श्रेणी के साथ सामान्य ईडब्ल्यूएस में काउंसलिंग का मॉप-अप राउंड और उसकी भागीदारी रिट याचिका के परिणाम के अधीन थी और उसका प्रवेश अदालत की पूर्व अनुमति के बिना अंतिम नहीं होना था।

चूंकि, यह न्यायालय रिट याचिका की अनुमति देने का इरादा रखता है, इसलिए याचिकाकर्ता अब उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित की जाने वाली मॉप-अप राउंड ऑफ काउंसलिंग या किसी भी बाद की काउंसलिंग में भाग लेने का हकदार होगा और उसका परिणाम तदनुसार अधिकारियों द्वारा घोषित किया जाएगा और मेरिट में आने पर प्रवेश दिया जाएगा।

यह न्यायालय निर्णय से अलग होने से पहले, यह देखना उचित समझता है कि प्राधिकारी-विकलांगता प्रमाण पत्र केंद्र, जिन्हें उनके समक्ष उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है, को उचित तरीके से कार्य करना आवश्यक है और उन्हें राजपत्र अधिसूचना का पालन करना आवश्यक है, जो जारी किया गया है और उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की जांच उन्हीं मापदंडों पर की जानी चाहिए जैसा कि राजपत्र या समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित है।

यह न्यायालय, सामान्य रूप से, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करता जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाह पाए गए हैं, हालांकि, यह न्यायालय अधिकारियों को भविष्य में, उचित तरीके से, विवेक का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देता है।

इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा प्राचार्य और नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर को भेजी जाए, जो बोर्ड के सदस्यों को छात्रों/उम्मीदवारों के प्रवेश के संवेदनशील मामलों से निपटने के दौरान विशेष रूप से मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों में सावधान और सतर्क रहने के लिए निर्देश/सलाह देंगे।

तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।

(अशोक कुमार गौड), **न्यायमूर्ति**

Himanshu Soni/93

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।